

## -:प्रेस नोट:-

## दिनांक- 04.02.2025

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारावास सहित अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कुल 07 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन किन्वक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारावास सहित अलग-अलग 02 मामलों में 02 अभियुक्तों को कुल 07 हजार रुपये के जुर्माने से दिण्डत कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

## अभियोग-

- 1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 85/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र गज्जा निवासी प्रहलाद का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को **10 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये** के जुर्माने से दिण्डित कराया गया।
- 2. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग 56/05 धारा 3/9 परीक्षा अधिनियम के अभियुक्त अरिवन्द कुमार सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मबईजार थाना बिवार जनपद हमीरपुर को कुल **2000/ रुपये के जुर्माने** से दिण्डत कराया गया।